न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 17/18

1. कल्याण
2. रामकरण
3. भरतलाल पिसरान जगदीश जातियान मीना निवासीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. मन्जू उर्फ मनभर पत्नि स्व0 घासी लाल
2. पंकज
3. रवि पिसरान स्व0 घासीलाल जातियान मीना निवासीयान ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 22/16 निर्णय दिनांक 13.12.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री अब्दुल बहाव
2. रेस्पोडेटान की और से श्री सुधीर कुमार जैन

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक 27.2.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0नं0 22/16 निर्णय दिनांक 13.12.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम सारसोप के निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीयां के पति स्व0 घासीलाल के खास भाई है तथा एक खास भाई और है जिसका नाम बृजमोहन है। बृजमोहन की एवं पूर्णिमा पत्नि स्व0 जगदीश की मृत्यु हो चुकी है। परन्तु नामा0 अभी उनके वारिसान के नाम नही खुला है। मृतका पूर्णिमा के वादीगण भी जायज उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही खानदान के है। जो स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के खानदान के है। ग्राम सरसोप तहसील चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा मे खाता संख्या 270 की आराजी ख0न0 205 रकबा 0.1400 है0, ख0न0 765 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 766 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 1398 रकबा 0.1700 है0, ख0न0 1399 रकबा 0.2900 है0, ख0न0 1436 रकबा 0.3700 है0, ख0न0 1568 रकबा 0.7700 है0, ख0न0 2927 रकबा 0.6400 है0, ख0न0 2927/4131 रकबा 0.6600 है0, 2937 रकबा 1.2000 है0 3346 रकबा 0.8700 है0, 3347 रकबा 0.5100 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 6.5400 है0 स्थित है। जि[illegible]ण 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है साथ ही मृतका सहखातेदार पूर्णिमा के उत्तराधिकारी होने से 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उस खाते मे 1/6 व 1/30 मे प्रार्थीगण 1/5 हिस्से के खातेदार है। प्रार्थीगण एवं दावे मे द[illegible]तिवादी संख्या 6 लगायत [illegible] संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 781 वाके ग्राम सारसोप मे ख0न0 749 रकबा 1.7900 है0, 750 रकबा 1.5800 है0, 3436 रकबा 0.0200 है0 किस्म गैर मुमकिन

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

चाह , ख0न0 3438 रकबा 2.7900 है0 किस्म चाही 3 , ख0न0 3440 रकबा 0.0300 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 3441 रकबा 3.4000 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 6 कुल रकबा 9.6100 है0 स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। बाकि 1/2 हिस्से मे दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 खातेदार काश्तकार है। ग्राम सारसोप मे प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व दावे मे दर्ज 6 लगायत 11 की कब्जें काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात स्थित है। इस भूमि मे वर्तमान मे प्रार्थीगण का 1/18 हिस्सा है परन्तु खातेदार पूर्णिमा की मृत्यु अर्सा करीब 10 वर्ष पूर्व हो जाने से प्रार्थीगण उसके हिस्से 1/18 हिस्से मे से 1/5 हिस्से के जायज उत्तराधिकारी है अर्थात 1/40 हिस्से के और अधिकारी है। इस प्रकार कुल 29/360 हिस्से के हकदार है। भूमि खाता संख्या 272 मे ख0न0 3255 रकबा 0.6600 है0 ,3389 रकबा 0.1300 है0 कुल रकबा 0.7900 है0 ग्राम सारसोप मे स्थित है। प्रार्थीयां विधवा व अशक्त महिला होने का नाजायज फायदा उठाने की लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करके हडप करना पर आमादा है। खाता संख्या 781 की 9.6100 है0 भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कोई हिस्सा नही है। इसके बाबजूद अप्रार्थीगण की नियत मे फर्क आ जाने से जबरन लठठ के जोर पर भूमि को हडप करना चाहते है जबकि प्रार्थीयां के पास उपरोक्त वर्णित आराजीयात की रोजी रोटी का साधन है। दिनांक 17.6.16 को ख0न0 3438 रकबा 2.7900 है0 पर ट्रेक्टर ले जाने पर हकाई जुताई करने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने मना कर दिया तथा धमकी दी कि सारी भूमि हमारी है। प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि प्रार्थना पत्र के मद न0 4 ता 6 मे वर्णित भूमि पर शांति पूर्वक काश्त करे व करावे तथा इसमे अप्रार्थीगण को बाधा पहुॅचाने का कोई कानूनी अधिकार नही है। संयुक्त खातेदार की जमीन मे प्रत्येक सहखातेदार का हर इंच जमीन पर कब्जा माना जाता है ऐसी कानून की मंशा है। इसलिए अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को काश्त करने मे बाधा पहुॅचाने का अधिकार नही रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाधा पहुॅचाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यदि प्रार्थीगण को कब्जे काश्त बाधा उत्पन्न की तो प्रार्थीगण अपने जायज हको से महरूम हो जावेगे। तथा प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की भूमि मे काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सही प्रकार से अवलोकन नही किया ना ही एप्रिसियेट कर डिसकस किया और सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय जेरे बहस पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों का भी अवलोकन नहीं किया कि विवादित भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसके संबंध में सह खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया है प्रकरण में नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होते हुए भी निर्णय जेरे बहस कर दिया है। रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण ने एक दावा व उसके साथ प्रार्थना 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 270, 272, 781 वाके ग्राम सारसोप में स्थित है जिसके खाता संख्या 781 के खं0नं0 749, 750, 3436, 3438, 3440, 3441 कुल किता 6 कुल रकबा 9.61 है0 रेस्पो0 प्रार्थीगण की 1/2 हिस्से की संयुक्त खातदारी की है तथा शेष खाता नं0 270 व 272 संयुक्त खातेदारी की है खाता सं0 781 की आराजीयात कुल किता 6 कुल रकबा 9.61 है0 अकेले रेस्पो0/प्रार्थीगण की नहीं होकर अपीलांट विपक्षीगण की भी खातेदारी एवं हिस्से की है चूंकि उक्त आराजीयात पैतृक है जिसके संबंध में अपीलांटस ने अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 781 की आराजीयात पेतृक है जो संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की है इसलिए रेस्पो./प्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो विपक्षीगण/अपीलांटस के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और नाही अन्तरण करे, जिसके संबंध में अपीलांट ने संवत 2012 से 2015 की जमाबंदी अपने पूर्वज माग्या पुत्र गोविन्द की प्रस्तुत की है परन्तु अदालत मातहत ने प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन किए बिना ही आदेश जेरे बहस पारित किया है और अदालत मातहत ने अपने आदेश में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के संबंध में किसी प्रकार की कोई फाईन्डिंग नहीं दी है तथा विरोधाभाषी निर्णय पारित कर दिया है। खाता संख्या 781 की आराजीयात पुश्तेनी आराजीयात है जिसके अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस बराबर बराबर हिस्से के खातेदार है जिसकी पुष्टि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संख्या 2012 से 2015 से होती है लेकिन चूंकि रेस्पो0 नं0 1 के पति व रेस्पो0 नं0 2 व 3 [illegible] सीलाल परिवार में बडा होने एवं राजकीय सेवामें होने से चालाकी पूर्वक अपने नाम [illegible] कर्मचारियों से साज कर पता नहीं कब अंकन करवा लिया [illegible] कर रेस्पो0 परेशान करते है। जबकि विवादित आराजीयात अपीलांटस व रेस्पो0 के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया है। विवादित आराजी खाता संख्या 781 जो कि संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की है जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

संयुक्त रूप से दो कुए खुदवाये जाकर समस्त आराजीयात सिंचित होती चली आ रही है। अपीलांट ने अपने हिस्सें मे अमरूदो का बगीचा लगा रखा है लेकिन अब रेस्पो0 के मन मे बेईमानी आ जाने के कारण वो अपने नाम खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है जबकि उक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी गौर नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि वो खाता संख्या 781 मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण ग्राम सारसोप के निवासी है। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 , रेस्पो/प्रार्थीयां के पति स्व0 घासीलाल के खास भाई है तथा एक खास भाई और है जिसका नाम बृजमोहन है। बृजमोहन की एवं पूर्णिमा पत्नि स्व0 जगदीश की मृत्यु हो चुकी है। परन्तु नामा0 अभी उनके वारिसान के नाम नही खुला है। मृतका पूर्णिमा के वादीगण भी जायज उत्तराधिकारी है। रेस्पो0/प्रार्थीगण एवं अपीलांटान/अप्रार्थीगण एक ही खानदान के है। जो स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के खानदान के है। ग्राम सरसोप तहसील चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा मे खाता संख्या 270 की आराजी ख0न0 205 रकबा 0.1400 है0, ख0न0 765 रकबा 0.4600 है0, ख0न0 766 रकषा 0.4600 है0, ख0न0 1398 रकबा 0.1700 है0, ख0न0 1399 रकबा 0.2900 है0, ख0न0 1436 रकबा 0.3700 है0, ख0न0 1568 रकबा 0.7700 है0, ख0न0 2927 रकबा 0.6400 है0, ख0न0 2927/4131 रकबा 0.6600 है0, 2937 रकबा 1.2000 है0,3346 रकबा 0.8700 है0, 3347 रकबा 0.5100 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 6.5400 है0 स्थित है। जिसके रेस्पो/प्रार्थीगण 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है साथ ही मृतका सहखातेदार पूर्णिमा के भी उत्तराधिकारी होने से 1/30 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार इस खाता मे 1/6 व 1/30 मे रेस्पो/प्रार्थीगण 1/5 हिस्से के खातेदार है। रेस्पो/प्रार्थीगण एवं दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 781 वाके ग्राम सारसोप मे ख0न0 749 रकबा 1.7900 है0, 750 रकबा 1.5800 है0, 3436 रकबा 0.0200 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह , ख0न0 3438 रकबा 2.7900 है0 किस्म चाही 3 , ख0न0 3440 रकबा 0.0300 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0न0 3441 रकबा 3.4000 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 6 कुल रकबा 9.6100 है0 स्थित है। जिसमे रेस्पो/प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, अपीलांट/अप्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। बाकि 1/2 हिस्से मे दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 खातेदार काश्तकार है। ग्राम सारसोप मे रेस्पो/प्रार्थीगण एंव अपीलांटान/अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व दावे मे दर्ज 6 लगायत 11 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात स्थित है। इस भूमि मे वर्तमान मे रेस्पो/प्रार्थीगण का 1/18 हिस्सा है परन्तु खातेदार पूर्णिमा की मृत्यु अर्सा करीब 10 वर्ष

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पूर्व हो जाने से प्रार्थीगण उसके हिस्से 1/18 हिस्से मे से 1/5 हिस्से के जायज उत्तराधिकारी है अर्थात 1/40 हिस्से के और अधिकारी है। इस प्रकार कुल 29/360 हिस्से के हकदार है। भूमि खाता संख्या 272 मे ख0न0 3255 रकबा 0.6600 है0 ,3389 रकबा 0.1300 है0 कुल रकबा 0.7900 है0 ग्राम सारसोप मे स्थित है। रेस्पो/प्रार्थीयां विधवा व अशक्त महिला होने का नाजायज फायदा उठाने की लिए अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 रेस्पो/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करके हडप करने पर आमादा है। खाता संख्या 781 की 9.6100 है0 भूमि मे अपीलांटान/अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का कोई हिस्सा नही है। इसके बाबजूद अपीलांटान/अप्रार्थीगण की नियत मे फर्क आ जाने से जबरन लठठ के जोर पर भूमि को हडप करना चाहते है जबकि रेस्पो/प्रार्थीयां के पास उपरोक्त वर्णित आराजीयात की रोजी रोटी का साधन है। दिनांक 17.6.16 को ख0न0 3438 रकबा 2.7900 है0 पर ट्रेक्टर ले जाने पर हकाई जुताई करने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने मना कर दिया तथा धमकी दी कि सारी भूमि हमारी है। यह वाद कारण उत्पन्न होने पर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अपीलांटन/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु पेश किया गया थां। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति मानी जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। खाता संख्या 781 मे अपीलांट का कोई लेना देना ही नही है। अपीलांट आराजी को पैतृक बता रहे है परन्तु जिस नामा0 से घासीलाल व रामनारायण के नाम हुआ उसको अपीलांट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया गया है। एक खातेदार को उसके कब्जे मे हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे मानकर ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि के अनुरूप किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वांरा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 781 का अंकन रामनारायण पि0 मांगीलाल हिस्सा 1/2 राहिन बैंक आफ बडोंदा शाखा शिवाड मुर्तहीन , घासी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2 मीना सा.देह ख[illegible]नाम दर्ज है। जो जरिये नामा0 संख्या 1104 निर्णय दिनांक 5.8.13 के द्वारा [illegible] से घासीलाल के बजाय रेस्पो/प्रार्थीगण पंकज, रवि [illegible] पत्नि स्व0घासीलाल हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर स्वीकार, बाकी अंकन ब[illegible]ूर रहा अंकित है। अपीलांट की और से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 के अनुसार यह आराजी मांग्या व गोविन्दा कोम मीणा दर्ज है, परन्तु इस आराजी पर पक्षकारो के मध्य अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मे वाद जैरकार है। जिसमे उनके अधिकारो को तय किया जाना शेष है। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे अंकिन रेस्पो0/प्रार्थीगण के पक्ष मे होने के कारण अपीलांट/अप्रार्थीगण का प्रकरण नही बनता है। इसिलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु0न0 22/2016 निर्णय दिनांक 13.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27.2.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner